रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 14/2020/1145 प्रो०/51-2020-14(04)/2020

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकार
वाराणसी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 02 जुलाई, 2020

विषयः राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 159/प्रोटोकाल-वि०/2020 दिनांक 19 फरवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 5,11,889=00 (रूपये पाँच लाख ग्यारह हजार आठ सौं नवासी मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक/खान-पान से संबंधित देयक संख्या**	**धनराशि**
1-	श्री त्रिलोचन मोहपात्रा, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, भारत सरकार। दिनांक 09-10-2019 से 11-10-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 सी०टी०-7587, देयक संख्याः 1340, दिनांक 05-11-2019	रू० 11,864=00
2-	श्री फागू चौहान, मा० राज्यपाल, बिहार। दिनांक 06-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6576, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एच०-9011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/128, दिनांक 31-10-2019	रू० 26,819=00
3-	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 01-10-2019 से 03-10-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-5678, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-0100, देयक संख्याः 1337, दिनांक 05-11-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 882,	रू० 32,728=00 रू० 2,050=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-	श्री कलराज मिश्रा, मा० राज्यपाल, हिमांचल प्रदेश। दिनांक 02-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, देयक संख्याः 1388, दिनांक 05-11-2019	रू० 7,008=00
5-	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 28-09-2019 से 29-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-5678, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-9898, देयक संख्याः 1336, दिनांक 05-11-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 874,	रू० 28,930=00 रू० 1,640=00
6-	श्री नवल किशोर अग्रवाल, मा० लोकायुक्त, हरियाणा। दिनांक 27-09-2019 से 28-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-9191, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-0100, देयक संख्याः 1335, दिनांक 05-11-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 867	रू० 15,804=00 रू० 2,570=00
7-	श्री कलराज मिश्रा, मा० राज्यपाल, हिमांचल प्रदेश। दिनांक 25-09-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6576, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-8011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/122, दिनांक 30-09-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 860	रू० 21,807=00 रू० 1,266=00
8-	श्री अर्जुन राम मेधवाल, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, भारी उद्योग एवं सरकारी उपक्रम, भारत सरकार। दिनांक 22-09-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 इ०टी०-5010, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/119, दिनांक 30-09-2019	रू० 16,171=00
9-	श्री रामदास अठावले, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 22-09-2019 से 23-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-5678, देयक संख्याः 1334, दिनांक 05-11-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 853,	रू० 7,822=00 रू० 1,730=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10-	श्री सुरेश सी० अगाड़ी, मा० केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 18-09-2019 से 19-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0199, देयक संख्याः 1333, दिनांक 05-11-2019	रू० 7,822=00
11-	श्री हरिवंश जी, मा० उप सभापति, राज्यसभा, नई दिल्ली। दिनांक 17-09-2019 से 18-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/116, दिनांक 30-09-2019	रू० 13,455=00
12-	स्व० श्री अरूण जेटली, मा० पूर्व केन्द्रीय मंत्री के पारिवारिक सदस्यगण, भारत सरकार। दिनांक 08-0-2019 से 09-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 सी०टी०-5259, वाहन संख्याः यू०पी०-65 इ०टी०-9329, देयक संख्याः 1329, दिनांक 05-11-2019	रू० 15,644=00
13-	मा० न्यायमूर्ति श्री सुधांशु धूलिया, वरिष्ठ न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड। दिनांक 07-09-2019 से 10-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, देयक संख्याः 1328, दिनांक 05-11-2019	रू० 11,864=00
14-	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 03-09-2019 से 04-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, देयक संख्याः 1327, दिनांक 05-11-2019	रू० 35,432=00
15-	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 31-08-2019 से 01-09-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, देयक संख्याः 1325, दिनांक 05-11-2019	रू० 35,448=00
16-	श्री कलराज मिश्रा, मा० राज्यपाल, हिमांचल प्रदेश। दिनांक 30-08-2019 से 02-09-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/110, दिनांक 30-09-2019	रू० 53,819=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17-	मा० न्यायमूर्ति श्री ए०पी० शाही, मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 24-08-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1023	रू० 1,756=00
18-	श्री श्रीपद नाईक, मा० मंत्री, आयुष (स्वतंत्र प्रभार) एवं मा० केन्द्रीय राज् मंत्री, रक्षा, भारत सरकार। दिनांक 24-08-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, देयक संख्याः 1324, दिनांक 05-11-2019	रू० 3,780=00
19-	डा० ए०बी० पाण्डेय, राजस्व सचिव, भारत सरकार। दिनांक 20-08-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-7992, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-7987, देयक संख्याः 1323, दिनांक 05-11-2019	रू० 7,560=00
20-	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 19-08-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-7911, देयक संख्याः 1322, दिनांक 05-11-2019	रू० 9,555=00
21-	श्रीमती निर्मला सीतारमण, मा० केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 20-08-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6576, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6573, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/105, दिनांक 30-08-2019	रू० 22,169=00
22	श्री विनोद कुमार पॉल, सदस्य नीति आयोग, नई दिल्ली। दिनांक 12-08-2019 से 13-08-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 सी०टी०-5259, देयक संख्याः 1321, दिनांक 05-11-2019	रू० 7,822=00
23	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 09-08-2019 से 11-08-2019 तक, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 759	रू० 2,727=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	श्री अजय रस्तोगी, जज, मा० उच्चतम न्यायालय, भारत। दिनांक 09-08-2019 से 11-08-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 सी०टी०-5259, देयक संख्याः 1320, दिनांक 05-11-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 758	रू० 13,188=00 रू० 1,490=00
25	श्री परमेश्वरम अय्यर, सचिव, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 09-08-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9988, देयक संख्याः 1319, दिनांक 05-11-2019,	रू० 4,042=00
26	मा० न्यायमूर्ति श्री एल० नरसिम्हा रेड्डी, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली। दिनांक 04-08-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 सी०टी०-5259, देयक संख्याः 1318, दिनांक 05-11-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 743	रू० 4,042=00 रू० 410=00
27	मा० न्यायमूर्ति श्री संजय प्रिय, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 02-08-2019 से 03-08-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 सी०टी०-5259, देयक संख्याः 1316, दिनांक 05-11-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 738	रू० 7,822=00 रू० 1,150=00
28	श्री दुर्गा शंकर मिश्र, सचिव, आवास एवं शहरी मामले, भारत सरकार। दिनांक 02-08-2019 से 03-08-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9329, देयक संख्याः 1317, दिनांक 05-11-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 738,	रू० 7,822=00
29	श्री दीपक मिश्रा, मा० पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत। दिनांक 01-08-2019 से 02-08-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/109, दिनांक रहित	रू० 16,706=00
30	श्री भूपेश बघेल, मा० मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़। दिनांक 20-07-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 सी०टी०-5259, देयक संख्याः 1089, दिनांक 31-07-2019	रू० 3,780=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31	मा० न्यायमूर्ति श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 13-06-2019 से 15-06-2019 तक, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 634,	रू० 2,310=00
32	मा० न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौली प्रसाद, मा० चेयरमैन प्रेस कौंशिल ऑफ इण्डिया। दिनांक 07-06-2019 से 08-06-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/77, दिनांक रहित	रू० 20,408=00
33	मा० न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी, जज, मा० उच्च न्यायालय, झारखण्ड। दिनांक 03-06-2019 से 06-06-2019 तक, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-7001, देयक संख्याः 1074, दिनांक 31-07-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 612,	रू० 15,906=00 रू० 3,470=00
34	मा० न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 02-03-2019 से 03-03-2019 तक, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 250,	रू० 1,180=00
35	श्री हरदीप एस० पुरी, मा० मंत्री, स्टेट हाउसिंग एवं शहरी मामले, भारत सरकार। दिनांक 01-03-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, देयक संख्याः 1064, दिनांक 31-07-2019	रू० 5,102=00
	(रूपये पाँच लाख ग्यारह हजार आठ सौं नवासी मात्र) कुल योग	रू० 5,11,889=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः (35 देयक मूलरूप में)

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 14/2020/1145(1) प्रो०/51-2020-14(04)/2020, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. वित्तीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी।
7. ट्रेवैल्स किंग आशू, यूजी-42, पीसीएफ प्लाजा, नादेसर, वाराणसी।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।